भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1911
दिनांक 11 मार्च, 2025

उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों का विकास

1911. श्री ए. राजा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने देश में कृषि और बागवानी दोनों फसलों सहित उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल और जैव-सुदृढ़ फसलों की किस्में विकसित की हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) किस प्रकार इन नई फसल की किस्मों को किसानों के लिए सुलभ बनाया जाएगा और किसानों को इन नई किस्मों को अपनाने में सहायता करने के लिए उपलब्ध सहायता प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और
(घ) अनाज, दलहन, तिलहन और हरी खाद्य फसलों के गुणवत्ता वाले बीजों सहित इन किस्मों को अपनाने के लिए किसानों को दी जाने वाली छूट और सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख) : वर्ष 2014-2024 के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तत्वावधान में आईसीएआर संस्थानों और राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू/एसएयू) सहित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने 2900 स्थान विशिष्ट उन्नत फसल किस्में/संकर किस्में विकसित की हैं, जिनमें अनाज की 1380, तिलहन की 412, दलहन की 437, रेशेदार फसलों की 376, चारा फसलों की 178, गन्ने की 88 और अन्य फसलों की 29 किस्में शामिल हैं। इन 2900 किस्मों में से 2661 किस्में (अनाज 1258; तिलहन 368; दलहन 410; रेशेदार फसलें 358; चारा फसलें 157, गन्ना 88 और अन्य फसलें 22) एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक दबावों के प्रति सहनशील हैं। इनमें से 537 किस्मों को परिशुद्ध फेनोटाइपिंग टूल्स का उपयोग करके विशेष रूप से चरम जलवायु की स्थितियों के लिए विकसित किया गया है। इस अवधि के दौरान चावल (14), गेहूं (53), मक्का (24), मिलेट (26), तिलहन (21), दलहन (9) और दाना चौलाई (5) की 152 जैव-प्रबलित किस्में विकसित की गई हैं। इसी तरह बागवानी

फसलों में पिछले दस वर्षों (2014-2024) के दौरान कुल 819 किस्मों को जारी और अधिसूचित किया गया है, जिसमें बारहमासी मसाले (60), बीज मसाले (49), आलू और उष्णकटिबंधीय कंद फसलें (71), रोपण फसलें (26), फल फसलें (123), सब्जी फसलें (429), फूल और अन्य सजावटी पौधे (53) और औषधीय व सुगंधित पौधे (8) शामिल हैं; जिनमें से 19 जैव-प्रबलित किस्में हैं।

(ग): विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त मांगों के अनुसार इन किस्मों के प्रजनक और गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास किए गए हैं। किसानों को बीज की शीघ्र आपूर्ति के लिए रबी 2024-25 से पर्याप्त गुणवत्ता वाले प्रजनक बीज उत्पादन और खरीफ 2025 के लिए प्रसंस्करण की योजना बनाई गई है। सभी प्रजनक बीज उत्पादन/किस्म विकास केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे उपलब्ध प्रजनक/स्टॉक बीज को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससीएल), राज्य बीज निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र, एफपीओ और अन्य एजेंसियों जैसे बीज उत्पादन एजेंसियों के साथ साझा करें ताकि आधारीय और प्रमाणित बीजों का तेजी से डाउनस्ट्रीम गुणन हो सके और इन किस्मों के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा सकें। तेजी से गुणन के लिए किसान भागीदारी बीज उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के खेतों पर भी बीज उत्पादन किया जाएगा।

इन किस्मों के बारे में बीज उत्पादन एजेंसियों और किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दूरदर्शन चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इन उन्नत फसल किस्मों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन नियमित रूप से पूरे देश में आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) किसानों के समक्ष इन उन्नत फसल किस्मों का प्रदर्शन करते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और पूर्वोत्तर हिमालय (एनईएच) क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को इन उन्नत फसल किस्मों के बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

(घ) : भारत सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) के घटक बीज ग्राम कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य गांव में किसानों को जलवायु अनुकूल, जैव-प्रबलित और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति किसान एक एकड़ के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन के लिए अनाज में बीज लागत का 50% और तिलहन, चारा और हरी खाद फसलों में 60% सहायता के साथ आधारीय/प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दी गई है। एनएमईओ-ओएस के अंतर्गत सहायता का स्वरूप अनुबंध-I में संलग्न है।

****

अनुबंध - I

{लोक सभा के दिनांक 11.03.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 1911 का भाग (घ)}

सहायता का स्वरूप/एनएमईओ-ओएस के अंतर्गत निधि साझा करने का स्वरूप

क्रम संख्या	**घटक**	**साझा करने का स्वरूप (भारत सरकार: राज्य)**	**सहायता**
1	प्रजनक बीज की खरीद	100%	बीज की 100% लागत
2	समूहों में बीज वितरण	60:40 / 90:10	मूल्य श्रृंखला समूहों में बीज की 100% लागत
3	सीएफएलडी/ एफएलडी/विशेष प्रदर्शन (टीआरएफए और अंतरफसल)	100%	एफएलडी / सीएफएलडी / ब्लॉक प्रदर्शन के लिए विभिन्न तिलहन फसलों की दरें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर घोषित की जाएंगी
4	राज्य स्तरीय प्रदर्शन	60:40 / 90:10	
5	बीज केंद्र (हब) और भंडारण इकाइयाँ	100%	**बीज केंद्र (हब):** - ₹ 50 लाख बुनियादी ढांचे के लिए - ₹ 100 लाख आवर्ती निधि के रूप में भंडारण इकाइयों के लिए: - ₹ 100 लाख प्रति भंडारण इकाई
6	किसान प्रशिक्षण और किसान फील्ड स्कूल	60:40 / 90:10	30 किसानों के प्रत्येक बैच के लिए ₹ 30,000 ₹ 35,000 प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति 1000 हेक्टेयर के लिए एक एफएफएस
7	वीसीपी के लिए प्रबंधन और आउटरीच सहायता	60:40 / 90:10	प्रशिक्षण और बीज वितरण लागत के 1.5% की दर से
8	फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा समर्थन	60:40 / 90:10	परियोजना लागत का 33%, अधिकतम ₹ 9,90,000 तक
9	फ्लेक्सी फंड	60:40 / 90:10	केवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

****